तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भागीरथ **बनाम** लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) सू.अ.अ. अपील संख्या 199 /2020	
25.11.20	अपीलार्थी भागीरथराम पुत्र बीरबलराम, पता सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.08..20 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 17.05.1979 अनुसार खसरा नम्बर 20 में एलोटमेंट (आंबटन) किया गया है । आदेश पुस्तक संख्या 34 पर दर्ज है उससे संबंधित पत्रावली , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी फलोदी.) से आदिनांक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अ[illegible] है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी [illegible] निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में [illegible] अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जा[illegible] आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2020.12.16 15:36:30 IST
Reason: SelfAttested